प्रेषक,

जितेन्द्र मिश्रा(उच्चतर न्यायिक सेवा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:– मा0 जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

विषय:– नियम 15 उत्तर प्रदेश राजकीय सेवक आचरण नियमावली 1956 सपठित OM-N0 3143/11 B-1968 दिनांकित 11.12.1968 के प्रावधानानुसार "सूचना का अधिकार" विषय पर हिन्दी भाषा में पुस्तक प्रकाशित कराये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयांकित के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों से जन सामान्य तथा जन सूचना अधिकारीगण को भिज्ञ कराने के लिए "सूचना का अधिकार" विषय पर हिन्दी भाषा में एक पुस्तक का लेखन किया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उपर्युक्त प्रस्तावित पुस्तक में उत्तर प्रदेश शासन या भारत सरकार की कोई सील या मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा लेखक के रूप में अपने नाम के साथ अपने पद नाम का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मैं पुस्तक में व्यक्त किये गये टिप्पणी एवं विचारों के लिए उत्तरदायी हूँगा। यह अवगत कराना है कि प्रस्तावित पुस्तक सरकार अथवा उसकी नीतियों से सम्बन्धित नहीं है। मैं इस बात के लिए आबद्व हूँ कि प्रस्तावित पुस्तक में ऐसा कोई भी तथ्यों या विचारों का प्रकटन नहीं होगा, जिसमें राज्य सरकार या भारत सरकार या अन्य किसी स्थानीय सरकार के विरूद्व कोई प्रतिकूल बात कही गयी हो। इस पुस्तक का नाम अभी तय किया जाना शेष है। यह पुस्तक हिन्दी भाषा में होगी।

अतएव माननीय महोदय से निवेदन है कि उपर्युक्त पुस्तक को प्रकाशित कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

सादर!

भवदीय,
14.12.2020

दिनांक–14–12–2020

(जितेन्द्र मिश्रा)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
एफ0टी0सी0 प्रथम मीरजापुर।
आई.डी.नं.–यू.पी.–6300

अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
मीरजापुर
15.12.2020